रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3471] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941
No. 3471] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941

India Code

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

**का.आ. 3838(अ).**—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संखयांक का.आ.1248(अ) तारीख 5 नवंबर, 2004, जो भारत के राज्पत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, साराणी में, पहले स्तंभ में, ' परिवहन यान' शीर्ष के अधीन, मद (xxi) के पश्चात निम्लिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:—

केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

"(xxii) मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर"

[फा. सं. आरटी-11036/28/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 1248(अ), तारीख 5 नवंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और उसका अंतिम संसोधन का.आ 5800(अ), तारीख 20 नवंबर, 2018 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

**S.O. 3838(E).—**In exercise of the power conferred by sub-section (4) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1248(E) dated the 5th November, 2004, namely:—

In the said notification, in the TABLE, in the first column, under the heading 'Transport Vehicle', after item (xxi), the following item shall be inserted, namely:—

"(xxii) Modular Hydraulic Trailer".

[F. No. RT-11036/28/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1248(E), dated the 5th November, 2004 and last amended vide S.O. 5800(E), dated the 20th November, 2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.24 22:34:40 +05'30'